



कार्यालय, नगर निगम जयपुर हैरिटेज

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालाकोठी जयपुर)

क्रमांक :- 148

दिनांक :- 30/9/2021

कार्यालय आदेश

आमजन की कठिनाईयों के निवारण के लिये राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के क्रम में सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में दिनांक 02.10.2021 से शहरी क्षेत्रों में आवासीय/व्यवसायिक समस्याओं के निस्तारण में आने वाले व्यवधानों एवं अवरोधों को दूर करते हुए प्रक्रिया की सरलीकरण कर त्वरित समाधान हेतु प्रशासन शहरों के संग अभियान शहर 2021" प्रारम्भ शहरों के संग अभियान शहर 2021 प्रारम्भ किया जा रहा है। नगर निगम हैरिटेज के समस्त वार्डों में तिथिवार शिविरों का आयोजन किया जायेगा। आमजन के कार्यों का कैम्प स्थल (शिविर) पर ही त्वरित निस्तारण के लिए नगर निगम हैरिटेज के समस्त जोनों में जौनस्तरीय एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया गया है उक्त कमेटी द्वारा तैयार किया गया पट्टा (लीज डीड) कैम्प स्थल पर कैम्प दिवस पर ही हस्ताक्षर कर आवेदक को सुपुर्द किया जा सके। इस कारण पट्टा (लीज डीड) पर महापौर की ओर से हस्ताक्षर करने हेतु जौन स्तरीय एम्पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष (सम्बन्धित जौन उपायुक्त) को प्राधिकृत किया जाता है। उक्त एम्पावर्ड कमेटी के क्षेत्राधिकार के समस्त कार्यों को करने के लिए सम्बन्धित उपायुक्त 'अध्यक्ष' प्राधिकृत रहेंगे।

किन्तु पट्टा तैयार होने के पश्चात् उनका वितरण का कार्यक्रम सम्बन्धित जौन उपायुक्त माननीय जनप्रतिनिधियों के समन्वय एवं सहयोग से उनकी गरिमामय उपस्थिति में रखा जावे।

आदेश की पालना सुनिश्चित की जावे।

मुनेश गुर्जर

महापौर
हैरिटेज नगर निगम

जयपुर
नगर निगम जयपुर हैरिटेज